

बिहार सरकार  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना


पटना, दिनांक:-.....

संख्या:-8/आ0 (राज0 उ0)-2-12/2017.....3028...../श्री रामबाबु, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, वैशाली को दिनांक 16.11.2017 को वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर थाना के बरांटी ओ0पी0 के बसौली ग्राम में 03 (तीन) व्यक्तियों की संदेहास्पद मृत्यु होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं0-4732 दिनांक 24.11.2017 द्वारा निलंबित किया गया है। विषयगत मामले में श्री रामबाबु का कोई दोष नहीं पाते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले को विभागीय अधिसूचना सं0-2851 दिनांक 14.08.2018 द्वारा संचिकास्त किया गया है।

2. उक्त स्थिति में श्री रामबाबु, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, वैशाली को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है तथा उनके निलम्बन अवधि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

3 इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
21/11/18  
(अभय राज)

सरकार के संयुक्त सचिव  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 04.09.18

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0 उ0)-2-12/2017 3028

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


  
21/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 04.09.18

ज्ञापांक:-8/आ0 (राज0 उ0)-2-12/2017 3028

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0 मैनेजर/ राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5 एवं श्री रामबाबु, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, वैशाली सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय-उपायुक्त उत्पाद का कार्यालय, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव  
बिहार, पटना।